2019 में 2,655.96 करोड़ रुपये मूल्य का 14.91 लाख टन प्याज निर्यात हुआ था। इसी तरह 2018 में 3,516 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 19.90 लाख टन प्याज निर्यात हुआ था।

राष्ट्रपति ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका ठुकराई

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन कुमार की दया याचिका ठुकरा दी है। वकील एपी सिंह ने सोमवार को पवन की ओर से दया याचिका दायर की थी। राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही ठुकरा चुके हैं। अभी तक इस मामले के दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार डेथ वारंट जारी हो चुके हैं।

पैरामेडिकल की छात्रा 'निर्भया' के साथ दक्षिणी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया और जानलेवा हमला किया गया। बुरी तरह जख्मी पीड़िता ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। इस मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता,

पवन गुप्ता की फाइल फोटो। प्रेट्र

राम सिंह और एक किशोर समेत कुल छह लोग दोषी करार दिए गए थे। राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली, जबकि किशोर सजा पूरी करने के बाद रिमांड होम से रिहा हो चुका है।

नए डेथ वारंट के लिए आज होगी सुनवाई

जासं, नई दिल्ली : निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खारिज करने के कुछ देर बाद ही दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में अर्जी दायर कर नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट ने इस पर चारों दोषियों को नोटिस जारी कर दिया। नया डेथ वारंट जारी करने के लिए गुरुवार को सुनवाई होगी। कुछ देर की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कहा कि अब चारों दोषियों के सभी उपाय पूरे हो चुके हैं। लिहाजा उनको नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि संविधान में जीने का अधिकार दिया गया है और दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। इसलिए दोषियों को नोटिस जारी किया जाता है और गुरुवार को उनका पक्ष सुना जाएगा।

जांच में नहीं हो पाई शराब की पुष्टि, पटना हाई कोर्ट ने दी 84 को जमानत

राज्य ब्यूरो, पटना : शराबबंदी कानून के तहत बिहार की जेलों में बंद 84 अभियुक्तों को पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। इनमें कुछ शराब पीने तो कुछ शराब के धंधे के आरोप में पकड़े गए थे। होली के पहले सभी जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, इसके लिए इन्हें निचली अदालतों में 50 हजार रुपये का निजी मुचलका (बांड) भरना होगा।

हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को जमानत देते हुए कहा कि इनमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनके कब्जे से शराब की बरामदगी तो दिखाई गई थी, लेकिन शराब की जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं की गई। इससे यह पता नहीं चल पाया कि पकड़ा गया पदार्थ शराब ही है। अदालत ने कहा कि केवल शराब पीते हुए पकड़ने का दावा करने मात्र से ही शराबबंदी कानून का पालन नहीं होता। इसकी जांच भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील विकास कुमार ने कहा कि प्रावधान में यह नहीं है कि पकड़े गए एक ड्रम शराब की पूरी जांच होगी या ड्रम से निकाले गए एक चम्मच की।

सुप्रीम कोर्ट का सज्जन कुमार को एम्स में जांच के लिए पेश करने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

1984 दंगा मामला

- खराब सेहत पर मांगी है जमानत, आज मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होंगे
- मेडिकल बोर्ड बताएगा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं

बीमारी के आधार पर जमानत मांग रहे 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुवार को एम्स में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने का आदेश दिया है। सज्जन कुमार फिलहाल जेल में हैं, उन्हें दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कुमार ने बीमारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सज्जन कुमार के वकील और सरकार व अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि सज्जन कुमार को स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुवार को सुबह दस बजे एम्स में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड सेहत की जांच करने के बाद बताएगा कि सज्जन कुमार को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है कि नहीं है। और अगर है तो सज्जन को किस अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड साथ ही यह भी बताएगा कि कितने दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड को सज्जन कुमार को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत लगती है तो वह कारण दर्ज करके ऐसा कर सकता है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले पर कोर्ट एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगा।

इससे पहले, सज्जन कुमार के वकील विकास सिंह ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की मांग की। सिंह ने मेदांता अस्पताल के डाक्टर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी तबियत काफी खराब है। बहुत तेजी से वजन कम हो रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करके इलाज की जरूरत है।

सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गत 10 दिसंबर की सज्जन कुमार की एम्स में हुई जांच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक उन्हें कुछ भी गंभीर बीमारी नहीं है बस रक्तचाप बढ़ा हुआ है। इनके वकील जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वह निजी अस्पताल की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में सज्जन कुमार की एम्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार वृद्ध हैं, इसलिए उनके भागने की आशंका नहीं है। इस पर कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि वह अब वृद्ध हैं लेकिन उनकी विधानसभा में 660 लोग मारे गये थे। दवे ने कहा कि बहुत से कैदियों को गंभीर बीमारियां हैं लेकिन उनका सरकारी अस्पताल में ही इलाज चलता है।

सेना भर्ती के मेडिकल मापदंड बदले

फिट आर्मी ▶ अभ्यर्थियों का भर्ती मैदान में होगा मेडिकल, अभिभावकों की बीमारियों का भी देना होगा ब्योरा

निशांत यादव, लखनऊ

देश के समक्ष बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जोर-शोर से काम कर रही है। आधुनिक हथियारों से लेकर तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। इन सबके बीच खासतौर से थल सेना में नई जान फूंकने के लिए पहले से अधिक फिट और पूरी तरह निरोगी अभ्यर्थियों को ही भर्ती में मौका देने की योजना भी बन गई है। इसके लिए एक अप्रैल से मेडिकल फिटनेस के मापदंड में व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। अभ्यर्थी ही नहीं, अब उनके माता-पिता की भी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाएगी।

सेना में विपरीत हालात के बीच उन क्षेत्रों, खासकर जहां मेडिकल की सुविधा नहीं है, वहां जवान अक्सर तनाव में आ जाते हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए सेना के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व ने बीमारी और शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त जवानों पर चिंता जताई है। कहा गया कि ऐसे जवान न केवल संसाधनों को लेकर समस्या खड़ी करते हैं, बल्कि सैन्य ऑपरेशन के समय अपनी टीम के अन्य सदस्यों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में टिके रहने के लिए दमखम वाले जवान ही चाहिए होंगे। यह तभी संभव होगा, जब भर्ती प्रक्रिया को ही और सख्त किया जाए। खासकर ऐसे नौजवान चुने जाएं, जो पूरी तरह निरोगी हों।

अभी मेडिकल फिटनेस की यह व्यवस्था

- भर्ती रैली में दौड़ के बाद ग्राउंड पर ही सफल अभ्यर्थियों का विजुअल मेडिकल होता है।
- इसमें हड्डियों की संरचना, सुनने, बोलने, देखने की क्षमता, दांत व चोट की जांच होती है।
- यहां फिट घोषित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं। लिखित में पास होने के बाद ट्रेनिंग के लिए यूनिट पहुंचते हैं।
- यदि भर्ती रैली स्थल पर हुए मेडिकल से ट्रेनिंग के लिए यूनिट पहुंचने तक 180 दिन का समय गुजर जाता है तो अभ्यर्थी का फिर से मेडिकल होता है, जबकि 180 दिन का समय न बीतने पर दोबारा मेडिकल नहीं होता।
- भर्ती रैली स्थल पर हड्डी की बनावट के बाद नाक, कान व गला की जांच होती हैं।

भारत घातक हमला करने में भी पारंगत : नरवाने

नई दिल्ली, एजेंसियां

थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने का कहना है कि भारत परंपरागत युद्धकौशल में तो महारथ हासिल कर ही रहा है, वह पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) सीमाओं पर शक्तिशाली प्रहार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह प्रहार पूरी तरह से युद्ध न होकर उससे कुछ कम शक्तिशाली हमला होगा।

जमीनी युद्ध पर आयोजित एक सेमिनार में बुधवार को सेना प्रमुख नरवाने ने कहा कि बालाकोट पर हवाई हमले करके हमने साबित कर दिया है कि अगर कोई युद्धकौशल में पारंगत हो तो हमला हमेशा युद्ध का रूप नहीं लेता है। सैन्य प्रचुरता को कई चक्रों में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे बात युद्ध तक बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ब्लॉकचेन तकनीकों, लेजर और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के संभावित प्रयोग के लिए प्रयासरत है।

जनरल एमएम नरवाने। फाइल

सेना प्रमुख ने कहा-कोई युद्धकौशल में पारंगत हो तो हमला हमेशा युद्ध का रूप नहीं लेता

उन्होंने कहा कि सेना की ओर से हमने आकलन किया है कि संघर्ष के हालात में युद्ध का स्वरूप बदलता जा रहा है। यह बात भारतीय परिपेक्ष्य में भी सही है। युद्ध के अपरिभाषित क्षेत्र यानी 'ग्रे जोन' और उसके विभिन्न मामूली अंतरों पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि इनमें कुछ भी ऐसा गंभीर नहीं है जिसमें आतंकियों आदि के प्रभाव से निपटने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

बिना युद्ध चीन बन बैठा युद्ध का मुखिया : उन्होंने चीन की सैन्य क्षमता पर कहा कि चीन कुछ दशकों से असली युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन उसने सैन्य शक्ति को लेकर अपने चारों ओर एक आभा खड़ी कर ली है। और उसी के दम पर खुद को अविवादित रूप से तकनीकी सैन्य युद्ध का मुखिया साबित कर दिया है।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आतंकी संगठन आइएस अमेरिका, ब्रिटेन से आगे : सेना प्रमुख एमएम नरवाने ने कहा कि आतंकी संगठन आइएस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में अमेरिका और ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है। इराक और सीरिया में जो आतंकी संगठन आइएस 17वीं शताब्दी की सोच और कार्यशैली में डूबा है, वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में 21वीं सदी के अमेरिका और ब्रिटेन से भी बेहद एडवांस हो गया है।

दुष्कर्म मामले में नित्यानंद की हाजिरी सुनिश्चित करे अदालत

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

कसेगा शिकंजा

- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की रामनगर अदालत को दिया निर्देश
- नित्यानंद के पूर्व ड्राइवर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के रामनगर जिले की निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह 2010 के दुष्कर्म मामले में भगोड़े स्वयंभू 'गॉडमैन' स्वामी नित्यानंद की उपस्थिति सुनिश्चित करे।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता और नित्यानंद के पूर्व ड्राइवर के. लेनिन उर्फ नित्या धर्मेंद्र के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद करने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे आज ही रामनगर की निचली अदालत में बयान दर्ज कराना होगा। बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर लेनिन के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने फरवरी में गैर जमानती वारंट जारी किया था। पीठ ने कहा कि संबंधित निचली अदालत को सुनवाई के लिए आरोपित नित्यानंद की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले महीने नित्यानंद की जमानत रद कर दी थी। तब राज्य पुलिस ने बताया कि नित्यानंद धार्मिक यात्रा पर है।

नित्यानंद दुष्कर्म के साथ ही अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपित है। उसे 22 अप्रैल, 2010 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसी साल 11 जून को उसे जमानत मिल गई थी। उसके बाद से वह फरार हो गया। पिछले दिनों खबर आई थी कि नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर कैलाशा नाम से अपना देश बसा लिया है।

टैबलेट और कैप्सूल भी बनाते थे फर्जी दवा फैक्ट्री संचालक

संवाद सहयोगी, बद्दी

हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के बद्दी स्थित ग्लेनमार्क हेल्थकेयर फैक्ट्री के नाम से चल रहे नकली दवाइयों के कारोबार में नई बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी दोनों भाई यहां टैबलेट, कैप्सूल व सिरप सभी तरह की दवाइयां बनाते थे। इसका पता वहां मिली मशीनरी से लगा है। यह मशीनरी सभी तरह की दवाइयां बनाने में सक्षम हैं। आरोपित दोनों भाइयों के खिलाफ जांच चल रही है।

फैक्ट्री मालिकों की ओर से फूड लाइसेंस लेकर अलग-अलग कंपनियों की दवाइयां बनाई जा रही थी। आरोपित अनुराग शुक्ला व अभिनिंद्र शुक्ला दोनों पांच वर्ष से इस काले कारोबार को चला रहे थे।

राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय में इनके खिलाफ दो दिन पहले ही शिकायत आई थी। इस पर मंगलवार को विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इसके अपास 2016 में बना फूड लाइसेंस था। जहां यह फैक्ट्री लगी है, वहां औद्योगिक क्षेत्र न होकर ट्रांसपोर्ट तथा ट्रेडर्स की दुकानें हैं। उसकी आड़ में आरोपित लोगों की सेहत से बिगाड़ने वाली दवाइयों को तैयार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

- बद्दी स्थित अवैध फैक्ट्री में मिली मशीनरी से सामने आई नई बात
- कानपुर के दो भाई कर रहे थे फर्जीवाड़ा, दोनों के खिलाफ चल रही जांच
- पुलिस को कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों की है तलाश

आरोपित बिना लाइसेंस के दवा का उत्पादन कर रहे थे। आशंका है कि इस कारोबार में कई और लोग भी शामिल हैं। ये कहां से कच्चा माल लाते थे, किसको बेचते थे व बॉक्स किससे बनवाते थे इसकी जांच चल रही है। फैक्ट्री को सीज कर दिया है।

-नवनीत मरवाहा, राज्य दवा नियंत्रक

नकली दवा बनाने वालों के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक की धारा 27सी के तहत केस दर्ज किया गया है। इन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

-एनके शर्मा, एएसपी, बद्दी।

कुलदीप सेंगर पर दोष सिद्ध होते ही गांव में सन्नाटा

जागरण संवाददाता, उन्नाव

- दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में फैसला आते ही पूर्व विधायक के समर्थकों में छायी मायूसी
- माखी में बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट के निर्णय पर गांव के लोगों ने साधी चुप्पी

माखी गांव की दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह उर्फ जयदीप और दो दारोगा सहित एक अन्य को दोषी करार दिए जाने का फैसला आते ही बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित माखी गांव में सन्नाटा पसर गया। विधायक के परिवारीजन और समर्थक फूट-फूटकर रो पड़े। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस भी सक्रिय हो गई। हर गली-चौराहे पर गश्त तेज कर दी गई। हालांकि, ग्रामीणों ने फैसले पर चुप्पी साध ली है।

पीड़िता के पिता से तीन अप्रैल 2018 को मारपीट हुई थी। पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ तमंचा रखने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। आठ अप्रैल, 2018 को जेल में पीड़िता के पिता की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां आठ अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पीड़िता ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक के भाई अतुल सिंह पर साथियों संग मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया था लेकिन, रसूख के आगे पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई एसआइटी जांच में अतुल और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। सीबीआइ ने पूर्व विधायक को इसमें आरोपित नहीं किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसका नाम साजिश में शामिल कर लिया था। बुधवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप, उसके भाई अतुल, दारोगा अशोक भदौरिया व केपी सिंह आदि को दोषी ठहराया। सजा का एलान 14 मार्च को होगा। फैसला आने के साथ ही पूर्व विधायक और पीड़िता के गांव माखी में सन्नाटा पसर गया। विधायक के परिवार और समर्थकों में मायूसी छायी थी।

सतर्क रहे पीड़िता के सुरक्षाकर्मी : फैसला आने के बाद पीड़िता के घर पर मुस्तैद सीआरपीएफ के साथ ही पुलिस की सतर्कता भी बढ़ गई। गांव में गश्त कर पुलिस लोगों की प्रतिक्रिया जानती रही। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है।

पूर्व विधायक के आवासों पर खामोशी : फैसला आने के बाद पूर्व विधायक के माखी और उन्नाव शहर स्थित आवास में खामोशी छायी रही।

गैर इरादतन हत्या

प्रथम पृष्ठ से आगे

दोषियों को आइपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 120 बी (साजिश रचना) के तहत दोषी करार दिया गया है। धारा 304 में अधिकतम उम्र कैद और जुर्माना और न्यूनतम 10 साल कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सेंगर को दुष्कर्म के मामले में पहले ही अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा मिल चुकी है।

अदालत में ही रोने लगा सेंगर, कहा- मैं निर्दोष हूं : जज ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया तो वह कोर्ट रूम में ही रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, माफ किया जाए। दूसरे दोषियों के चेहरों पर भी तनाव दिखा जबकि बरी हुए लोग भावुक हो गए।

बिलख पड़े परिजन : फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट रूम के बाहर मौजूद दोषियों के परिजनों में कुछ अंदर आ गए और रोने लगे, जबकि बाहर भी उनके परिवार के कई सदस्य बिलख पड़े। दोषी करार दिए जाने के बाद सेंगर और अन्य को पुलिसकर्मी कोर्ट रूम से हवालात तक सख्त सुरक्षा के बीच ले गए।

इन्हें दोषी करार दिया गया

- कुलदीप सेंगर, पूर्व विधायक
- कामता प्रसाद, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर
- अशोक सिंह भदौरिया, तत्कालीन एसएचओ माखी थाना
- विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा
- बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह
- शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह
- जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर

ये हुए बरी

- शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह
- राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह
- अमीर खान, तत्कालीन सिपाही
- शरदवीर सिंह

बहुत सताया इन लोगों ने, कड़ी सजा पर मिलेगा सुकून : पीड़िता

जागरण संवाददाता, उन्नाव : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से पूर्व विधायक और उसके भाई को दोषी ठहराए जाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने संतोष जताया। उसने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि उसे सुकून तब मिलेगा, जब पिता की हत्या के मामले में दोषियों को अधिकतम कड़ी सजा मिलेगी और जुर्माना होगा। पीड़िता ने कहा कि पूर्व विधायक, उसके भाई व समर्थक लगातार मेरे परिवार का उत्पीड़न करते रहे हैं। पिता को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। चाचा को झूठे मुकदमों में जेल भिजवाया गया। अब न्यायालय ने न्याय देना शुरू किया है। अब सरकार से मांग करेंगे कि चाचा पर लगे झूठे मुकदमे भी वापस लिए जाएं।

पूर्व विधायक पति कुलदीप सिंह सेंगर और देवर अतुल सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह गहरे सदमे में हैं। न्यायालय का निर्णय आने के बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय से उम्मीद नहीं टूटी है। तीस हजारी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगी। उनका कहना है कि कोर्ट की अंतिम चौखट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

नई किस्म

चौगुनी होगी किसानों की आय, नारंगी रंग की होगी नई किस्म, बीएयू की खोज की देश के 11 संस्थानों में हो रही टेस्टिंग

पहली बार 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी खिलेगा गेंदा

ललन तिवारी भागलपुर

गर्मी के तीन महीनों अप्रैल, मई और जून में गेंदे के फूल नहीं खिलते हैं। इसी दौरान शादी-विवाह, पूजन आदि में इसकी अधिक मांग होती है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (बीएयू) गेंदे की नई किस्म विकसित कर रहा है। यह 42 डिग्री तापमान, यानी अब तक देश में सबसे अधिक गर्म मौसम में भी खिलेगा। अब तक बेंगलुरु, मद्रास और केरल में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस पर गेंदे के फूल खिल रहे हैं।

जल्द रिलीज होगी नई किस्म : नारंगी रंग के गेंदे की इस नई प्रजाति का देश के 11 बड़े संस्थानों में परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के पूरा होने के बाद सरकार की हरी झंडी मिलते ही विश्वविद्यालय इसे रिलीज करेगा। बीएयू उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार बताते हैं कि फूलों की खेती करने वाले किसानों की आमदनी बढ़े, इसी कारण इस नई किस्म का इजाद किया जा रहा है।

प्रतीकात्मक

छह वर्ष लगा शोध में समय

बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आरके सोहाने बताते हैं कि अखिल भारतीय पुष्प शोध परियोजना, नई दिल्ली के तत्वावधान में 2013 से इस पर शोध जारी था। इतने लंबे शोध के बाद अब सफलता मिल रही है। गया जिले के टेकारी में इसका सफल परीक्षण किया गया है।

गेंदा की नई किस्म पुष्प उत्पादक किसानों के घर समृद्धि की खुशबू देगी। इसे बहुत जल्द रिलीज कराया जाएगा।

-डॉ. अजय कुमार सिंह, कुलपति, बीएयू, सबौर

किसानों की बढ़ेगी आमदनी

ठंड के मौसम में 120 से 150 रुपये कुड़ी तक गेंदे के फूलों की किसान बिक्री करते हैं। एक कुड़ी 20 लड़ियों की होती है और एक लड़ी तीन फीट की होती है। गर्मी के मौसम में 600 से 700 रुपये कुड़ी तक किसानों को इस फूल के भाव मिलेंगे। अभी गर्मी के मौसम में बंगाल या अन्य जगहों से गेंदे के फूल मंगाए जाते हैं।

20 फरवरी तक होगी रोपाई

कृषि वैज्ञानिक डॉ. श्यामा कुमारी के अनुसार 20 फरवरी तक नई किस्म के गेंदे के पौधों की रोपाई हो सकेगी। 60 सेंटीमीटर लाइन से दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए। अप्रैल माह से फूल आने लगेंगे और अगस्त तक ये फूल देंगे। किसान इससे एक एकड़ में दो लाख तक की आमदनी प्राप्त कर सकेंगे।

50 फीसद मिलता है अनुदान

भागलपुर जिला के उद्यान सहायक निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि गेंदा के खेती के लिए सरकार 50 फीसद अनुदान देती है। 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम अनुदान देय है।

जाली नोट बरामदगी प्रकरण में बिहार में एनआइए का छापा

जागरण संवाददाता, मधुबनी

बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोठगांव में बुधवार सुबह एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने जाली नोट बरामदगी प्रकरण में छापेमारी की। बिहार पुलिस के सहयोग से मो. मुमताज के घर और उसके आस-पड़ोस के घरों में कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी में एनआइए के डीएसपी समेत आधा दर्जन पदाधिकारी मौजूद थे। घर में रखे पांच मोबाइल एनआइए द्वारा जब्त किए जाने की सूचना है। हालांकि इस संबंध में एनआइए की टीम व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे। बताते चलें कि इससे पूर्व भी मो. मुमताज के घर दो बार केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम छापेमारी कर चुकी है। दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह में पूर्णिया बस स्टैंड के पास डीआरआइ की टीम ने एक लाख 90 हजार 500 रुपये के जाली नोट के साथ मो. मुमताज को गिरफ्तार किया था। वह मधुबनी का रहने वाला है। चर्चा यह भी है कि बरामद जाली नोट पाकिस्तान में छपे होने को लेकर एजेंसी गहन पड़ताल कर रही है।

तस्करी का 5.83 किलो सोना जब्त, दो गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने सिलीगुड़ी के विधाननगर इलाके से 5.83 किलोग्राम वजन के 50 विदेशी सोने के बिस्कुटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआरआइ की ओर से बुधवार को एक बयान में बताया गया कि विशेष खुफिया सूचना पर यह कार्रवाई की गई।